दूदू

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

अपीलीय निर्माण 03/10/2019

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

गफूर रंगा पुत्र कुदरतउल्ला जाति मुसलमान व अन्य बनाम अजीज रंगा पुत्र रशीद रंगा जाति देशवाली मुसलमान व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी. एक्ट नम्बर 375 सन् 2019 (दूदू)

2019/00375 (मौजमाबाद)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा श्री	
3/X/19	यह अपील श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 09.08.2019, प्रकरण संख्या 83/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र व अपील पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 4 इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के आराजी खाता संख्या 1268 के आराजी खसरा नम्बर 3642 रकबा 0.13है0, खसरा नम्बर 3644 रकबा 0.16 है0, कुल रकबा 0.29 है0 वाकै ग्राम मौजमाबाद में स्थित है, जिसका प्रार्थी अपने 1/3 हिस्सा का एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकार अदा करता आ रहा है। हसतगत प्रकरण में दर्ज विवादित आराजीयात प्रार्थी की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति रही है, जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है तथा मौके पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पडौसी काश्तकार है एवं झगडालू प्रवृति के होने से प्रार्थी ने खसरा नम्बर 3642 में मूंग की फसल वर्तमान में काश्त कर रखी है, जिसमें भी अप्रार्थीगण आये दिन नुकसान कारित करते है एवं खसरा नम्बर 3644 के लगवा अप्रार्थीगण जबरन सींव मेर को तोड़कर पुख्ता निर्माण कर नाला निकालने पर आमादा है, मना किया तो अप्रार्थीगण अत्यधिक उग्र हो गये तथा जबरन प्रार्थी की आराजी की मेर सींव कोर को नष्ट करने लगे, जब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तो उन्होने ऐलानिया धमकी दी कि हम सींव मेर को तोड़कर उक्त आराजीयात को हमारी आराजीयात में मिलायेगें, अप्रार्थीगण की उक्त धमकी से प्रार्थी को अपने हितो की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ तथा प्रार्थना पत्र के अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करे न अन्य से करावें न ही प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में बेदखल करें, न जबरन प्रार्थी की आराजी की सींव मेर तोड़े, न फसल काश्त करने से रोके, न खसरा नम्बर 3644 की सींव मेर तोडकर पुख्ता निर्माण करें, न ही नाला, जंगला निकाले, न अन्य किसी दीगर व्यक्ति आदि से करवायें, निर्माण करें, मौके की यथस्थिति बनाये रखने व प्रार्थी को पुलिस सहायता हेतु थानाधिकारी, दूदू को लिखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.08.2019 को दर्ज रजिस्टर कर, तलबी अप्रार्थीगण जारी कर एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा से अपीलार्थीगण को पाबंद कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2019 के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2063 से 2063 के आराजी खतौनी संख्या 268 के आराजी खसरा नम्बर 3641 के साबिक खसरा नम्बर 2791/1/2 रकबा 0.32 है0, खतौनी संख्या 924 के खसरा	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी

२३

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

375/19/225 गफूर खॉ बनाम अलीम खॉ

तारीख पेशी	2019/00375 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुरेन्द्र शर्मा श्री	

लगातार

नम्बर 3640 के साबिक खसरा नबर 2791/1/1 रकबा 0.32 है0, खतौनी संख्या 1032 के साबिक खसरा नम्बर 3642 के साबिक खसरा नम्बर 2791/2 रकबा 0.13 है0 वाकै ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद में स्थित है, इसके मूल पूर्ववर्ती खातेदार सुबराती खॉ पुत्र बदू खॉ हिस्सा1/3, मिसरूद्दीन, गफूर खॉ पुत्र बदू खॉ हिस्सा 1/3, मिसरूद्दीन, गफुर खॉ हिस्सा 1/3, मिसरूद्दीन, गफुर खॉ पुत्रान खुदाबक्स हिस्सा 1/3 व नसीर खॉ पुत्र करीम खॉ हिस्सो 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज थे, इनके मध्य पारस्परिक सहमति से खसरा नम्बर 2791 रकबा 03 बीघा का विभाजन हुआ उक्त विभाजन के पश्चात सुबराती खॉ पुत्र बदु खॉ के हिस्से में 2791/2 रकबा 10 बिस्वा तथा मिसरूद्दीन व गफुर खॉ पुत्रान खुदाबक्स खॉ के हिस्से में 2791/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हुआ। तत्पश्चात मूल खातेदार सुबराती ने खसरा नम्बर 2791/2 रकबा 10 बिस्वा जरिये पंजीबद्ध विनियम पत्र दिनांक 07.08.1997 को खातेदार रहीम खॉ पुत्र नबीबक्स के पक्ष में करवा दिया तथा पंजीबद्ध विनिमय पत्र के आधार पर रहीम खॉ के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 2364 दिनांक 11.05.1998 को खसरा नम्बर 2791/2 रकबा 10 बिस्वा का स्वीकृत हुआ एवं रहीम खॉ की आराजी खसरा नम्बर 2825 रकबा 12 बिस्वा सुबराती पुत्र बदू खॉ के पक्ष में स्वीकार हुआ। विनिमय से रहीम खॉ पुत्र नबीबक्स से प्राप्त का नवीन खसरा नम्बर मिलान क्षैत्रफल के अनुसार 3642 है। दिनांक 05.07.1993 को जो विभाजन हुआ इसके पश्चात गफुर खॉ व मिश्रुद्दीन के मध्य खसरा नम्बर 2791/1 का दिनांक 08.08.1993 को विधिवत विभाजन हुआ, जिसमें गफुर खॉ के हिस्से में खसरा नम्बर 2791/1/2 रकबा 01 बीघा 5 बिस्वा दर्ज हुआ तथा मिश्रुद्दीन के पक्ष में खसरा नम्बर 2791/1/1 रकबा 05 बिस्वा दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से परे जाकर आदेश दिनांक 09.08.2019 को पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.08.2019 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलाधीन आराजी बाबत् दिनांक 05.07.1993 को एवं 08.08.1993 को विभाजन हो चुका है तथा विभाजन के पश्चात भी अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के पूर्वाधिकारी द्वारा कुछ भूमि का विक्रय भी कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र द्वारा क्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई अवसर दिये बिना अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई हैं जो विधि सम्मत नहीं है। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू के आदेश दिनांक 09.08.2019, प्रकरण संख्या 83/2019 निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 पर दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुए, स्पष्ट एवं विधि सम्मत निर्णय 30 दिवस में पारित करें। निर्णय की एक प्रति अधी.न्यायालय को प्रेषित की जावें। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(हस्ताक्षर) 3/x/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर